[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट उपकर की दर को अधिसूचित करती है, जो ऐसे माल, जिनका वर्णन स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं, के राज्य के भीतर पूर्तियों या अंतरराजयिक पूर्तियों पर उद्ग्रहित किया जाएगा ।

अनुसूची

क्रम सं0	**अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**	**माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2106 90 20	पान मसाला	60%
2.	2202 10 10	वातित जल	12%
3.	2202 10 20	नींबू रस	12%
4.	2202 10 90	अन्य	12%
5.	2401	अविनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - जो ब्रांड नाम वाले हैं	71%
6.	2401	अविनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब सहित) - जो ब्रांड नाम वाले हैं	65%
7.	2401 30 00	तम्बाकू उचछिष्ट - जो ब्रांड नाम वाले हैं	61%
8.	2402 10 10	सिगार और चुरुट	21% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
9.	2402 10 20	सिगरीला	21% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
10.	2402 20 10	65 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न तंबाकू वाली सिगरेट	5% + 1591 रुपए प्रति हजार
11.	2402 20 20	65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई फिल्टर वाली सिगरेट से भिन्न तंबाकू वाली सिगरेट	5% + 2876 रुपए प्रति हजार
12.	2402 20 30	65 मिलीमीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई,	5% + 1591 रुपए प्रति हजार

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई जो भी अधिक हो)	
13.	2402 20 40	65 मिलीमीटर से अधिक किंतु 70 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सममिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अनधिक हो)	5% + 2126 रुपए प्रति हजार
14.	2402 20 50	70 मिलीमीटर से अधिक किंतु 75 मिलीमीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लंबाई सममिलित है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, इसमें से जो भी अनधिक हो)	5% + 2876 रुपए प्रति हजार
15.	2402 20 90	अन्य तंबाकू वाली सिगरेट	5% या 4170 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
16.	2402 90 10	तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	Rs.4006 रुपए प्रति हजार
17.	2402 90 20	तंबाकू अनुकल्प की सिगरीला	12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
18.	2402 90 90	अन्य	12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो
19.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुड़कू' तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
20.	2403 11 10	ध्रूमपान 'हुक्का' या 'चिलम', जो सामान्यतः 'हुक्का' या 'गुड़कू', जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं, के लिए उपयोग किया गया तंबाकू	17%
21.	2403 11 90	अन्य जल पाइप ध्रूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	11%
22.	2403 19 10	पाइपों और सिगरेटों के लिए ध्रूमपान मिश्रण बीड़ी	290%
23.	2403 19 90	अन्य ध्रूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	49%
24.	2403 19 90	अन्य ध्रूमपान तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	11%
25.	2403 91 00	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तंबाकू, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
26.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना)	160%
27.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (लाइम ट्यूब सहित)	142%
28.	2403 99 10	फिल्टर खैनी	160%
29.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू वाली विनिर्मितियां	72%
30.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू	160%
31.	2403 99 40	नस्वार	72%
32.	2403 99 50	नस्वार वाली निर्मितियां	72%

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
33.	2403 99 60	तंबाकू, निष्कर्ष और सत्व, जो ब्रांड नाम वाले हैं	72%
34.	2403 99 60	तंबाकू, निष्कर्ष और सत्व, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	65%
35.	2403 99 70	कटा हुआ तंबाकू	20%
36.	2403 99 90	पान मसाला, जिसमें तंबाकू 'गुटखा' है	204%
37.	2403 99 90	तंबाकू 'गुटखा' वाले पान मसाला से भिन्न सभी माल, जो ब्रांड नाम वाले हैं	96%
38.	2403 99 90	तंबाकू 'गुटखा' वाले पान मसाला से भिन्न सभी माल, जो ब्रांड नाम वाले नहीं हैं	89%
39.	2701	कोयला ; कोयले से विनिर्मित इष्टिका, अण्डाभ और इसी प्रकार के ठोस ईंधन	400 रुपए प्रति टन
40.	2702	लिग्नाइट चाहे संपिंडित है या नहीं, जैट को छोड़कर	400 रुपए प्रति टन
41.	2703	पीट (जिसके अंतर्गत पीट लीटर भी है) चाहे संपिंडित है या नहीं	400 रुपए प्रति टन
42.	8702 10	दस या उससे अधिक व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत चालक भी है, परिवहन के लिए मोटर यान	15%
43.	8703	मोटर यान, जो ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी कारखाने से एंबुलेंस के लिए आवश्यक फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन से सम्यकत: फिट की गई एंबुलेंस के रूप में पूर्ण है	कुछ नहीं
44.	8703 10 10, 8703 80	विद्युत रूप से प्रचालित यान, जिनके अंतर्गत तीन पहिया यान विद्युत मोटर यान भी है	कुछ नहीं
45.	8703	तीन पहिया यान	कुछ नहीं
46.	8703	निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कारें : क) भारत सरकार का भारी उद्योग विभाग के उप सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी यह प्रमाणित करता है कि उक्त माल दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य है ; और ख) कार का क्रेता एक ऐसा शपथ पत्र देता है कि वह उसके क्रय किए जाने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए कार का व्ययन नहीं करेगा ।	कुछ नहीं
47.	8703 40, 8703 50,	निम्नलिखित यान, जिनमें दोनों स्फुलिंग प्रज्जवलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटरें क) एंबुलेंस के रूप में निकासी किए गए मोटर यान, जिनमें ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी	कुछ नहीं

क्रम सं0	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		कारखाने से किसी एंबुलेंस के लिए आवश्यक सभी फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन सम्यकत: फिट किए गए हैं ख) तीन पहिया यान ग) 1200सीसी से अनधिक धारिता के इंजन वाले मोटर यान और 4000 मिलिमीटर से अनधिक लंबाई वाले मोटर यान ***स्पष्टीकरण.***- इस प्रविषटि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	
48.	8703 60, 8703 70	निम्नलिखित यान, जिनमें दोनों स्फुलिंग प्रज्जवलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन [डीजल- या अर्ध डीजल] और नोदन के लिए मोटरों के रूप में विद्युत मोटरें : क) मोटर यान, जो ऐसे मोटर यानों के विनिर्माणकारी कारखाने से एंबुलेंस के लिए आवश्यक फिटमेंट, फर्नीचर और उपसाधन से सम्यकत: फिट की गई एंबुलेंस के रूप में पूर्ण है ख) तीन पहिया यान ग) 1500सीसी से अनधिक धारिता के इंजन वाले मोटर यान और 4000 मिलिमीटर से अनधिक लंबाई वाले मोटर यान ***स्पष्टीकरण.***- इस प्रविषटि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	कुछ नहीं
49.	8703	ईंधन शेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हाइड्रोजन यान और जिनकी लंबाई 4000 मिलिमीटर से अनधिक है । ***स्पष्टीकरण.***- इस प्रविषटि के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	NIL
50.	8703 21 या 8703 22	पेट्रोल, द्रवित पेट्रोल गैस (एलपीजी) या संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से 1200 सीसी से अनधिक की धारिता वाला और 4000 एमएम से अनधिक लंबाई वाले इंजन के मोटर यान ।	1%

क्रम सं०	अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	माल और सेवाकर प्रतिकर उपकर की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
		स्पष्टीकरण.- इस प्रविषिट के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	
51.	8703 31	1500 सीसी से अनधिक की धारिता वाला और 4000 एमएम से अनधिक लंबाई वाले डीजल चालित मोटर यान । ***स्पष्टीकरण.***- इस प्रविषिट के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान का विनिर्देश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) और तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।	3%
52.	8703	उपरोक्त क्रम सं. 43 से क्रम सं. 51 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	15%
53.	8711	350 सीसी से अधिक धारिता वाले इंजन की मोटर साइकिल	3%
54.	8802	अन्य वायुयान (उदाहरणार्थ, हैलीकाप्टर, विमान), वैयक्तिक उपयोग के लिए	3%
55.	8903	यान और अन्य जलयान, जो मनोरंजन या क्रीड़ा के लिए है	3%
56.	कोई भी अध्याय	उपरोक्त क्रम सं. 1 से क्रम सं. 55 पर उल्लिखित माल से भिन्न सभी माल	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण–

(1) इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

(3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड नाम" पद से ब्रांड नाम या व्यापार नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अभिप्रेत है, अर्थात् नाम या चिह्न जैसे संप्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या लेख, जिसका ऐसे विनिर्दिष्ट माल तथा उस व्यक्ति की पहचान के किसी उपदर्शन सहित या रहित ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के अनुक्रम में किसी संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए या जिससे उसे उपदर्शित किया जा सके, ऐसे विनिर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार